

प्रकाशित :-

मालापाल, दिनांक २ अप्रैल, १९७६ ।

दिनांक २१३-जठा रह-एका मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६९ (क्रमांक ३७ सन् १९६९), की धारा ३५७ की उपधारा (३) प्रारा पूर्व शब्दियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव नगरपालिका द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २८३ की उपधारा (१) के खण्ड (८), धारा ३४८ की मद (इक) तथा ३५७ की उपधारा (५) के साथ पठित धारा ३५८ की उपधारा (८) के खण्ड (ग) की मद (चार) के अधीन बनाई गई उपविधियों की जो उक्त अधिनियम की धारा ३५७ की उपधारा (४) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, पुष्टि करता है, अर्थातः -

उपविधियाँ

१- (१) ये उपविधियाँ राजनांदगांव नगरपालिका पैट्रौल पंप, डीबलल पंप, बुड बायल पंप (स्थान अनुज्ञापन) उपविधियाँ, १९७६ कहलायेंगी।

(२) इनका विस्तार संपूर्ण नगरपालिका पर ही गा।

(३) ये उनके "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व छोड़ दी जायेंगी।

२- इन उपविधियों के प्रारंभ होने से राजनांदगांव नगरपालिका में पूर्व इन उपविधियों के तत्स्थानी वै समस्त नियम आदेश लाया उपविधियाँ, जो इन उपविधियों के प्रारंभ होने के अध्यावहित पूर्व प्रकृत हों, अनियन्त्रित हो जायेंगी :

परंतु इस प्रकार नियन्त्रित नियमों, आदेशों तथा उपविधियों के अधीन की गई बात या कोई कार्यवाही, जब तक कि वह इन उपविधियों के उपर्याप्त से असंगत न हो, इन उपविधियों के तत्स्थानी उपर्याप्त के अधीन की गई समझा जायेगी।

३- इन उपविधियों में जब तक प्रसंग से बन्धा अपेक्षित न हो :-

(क) "मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी" से अभिप्रैत है नगरपालिका परिषद्, राजनांदगांव का मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी ;

(ख) "परिषद्" से जारी अभिप्रैत है नगरपालिका परिषद्, राजनांदगांव ;

(ग) "नगरपालिका" से जारी अभिप्रैत है राजनांदगांव नगरपालिका।

४- कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के अधीन इस संबंध में कोई अनुज्ञाप्त के सिवाय या इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञाप्त की शर्तों से बन्धा

५- बनुज्जप्त के लिये आवेदन पत्र हीने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इन उपविष्टियों से संलग्न प्रस्तुप में बनुज्जप्त मंजूर कर सकेगा या अभिसिस्ति किये जाने वाले कारणों से बनुज्जप्त देने से इकार कर सकेगा ।

६- इन उपविष्टियों के बधीन मंजूर की गई बनुज्जप्त के लिये ₹० १०० (एक सौ रुपये) वार्षिक फीस प्रमारित की जायेगी एवं ऐसी फीस स्वामी द्वारा देय होगी ।

७- इन उपविष्टियों के बधीन एक बार मंजूर की गई बनुज्जप्त, जो निर्वित अथवा रद्द न की गई ही, आवेदन पत्र दिये जाने पर तथा उपविष्टि ५ में विनिर्दिष्ट फीस का मुगलान किये जाने पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नवीकृत की जाएगी । नवीकरण के लिये जावेदन प्रतिवार्ष १५ मार्च के पूर्व किया जावेगा ।

८- मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इन उपविष्टियों में उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का भग होने पर इन उपविष्टियों के बधीन मंजूर की गई बनुज्जप्त रद्द या निर्वित कर सकेगा ।

९- उपविष्टि ७ के उपबंधों के बध्यधीन रहते हुए इन उपविष्टियों के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई प्रत्येक बनुज्जप्त, उसके मंजूर किये जाए के दिनांक से पश्चात्तवती ३१ मार्च की समाप्त होने वाली कालावधि के द्विविधिभान्य होगी ।

१०- इन उपविष्टियों के बधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई बनुज्जप्त यदि निरुपित हो जाय, गुम हो जाय या भट्ट हो जाय, तो नगरपालिका पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह बावश समझे, बनुज्जप्त की दूसरी प्रति पांच रुपये फीस का मुगलान किये जाने जारी कर सकेगा ।

११- (१) बनुज्जप्त मंजूर करने से इकार करने या बनुज्जप्त की रद्द या निर्वित करने का प्रत्येक जादेश लिखित में अभिसिस्ति किया जायगा । उसमें ऐसे बादेश के कारणों के क्षिवरण संक्रिया त में अन्तर्विष्ट होंगे । ऐसे बादेश की एक प्रति उससे प्रमारित होने वाले व्यक्तित्व को निःशुल्क प्रदाय की जावेगी ।

(२) इन उपविष्टियों के बधीन मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी व बादेश से व्यक्तित्व कोई भी व्यक्तित्व, उसकी जादेश की संसूचना के तीस दिन भीतर, परिषद की अधीन कर सकेगा ।

१२- इन उपविष्टियों के बधीन मंजूर की गई प्रत्येक बनुज्जप्त नियम-लिखित शर्तों के बध्यधीन होंगी, बध्यतः -

(क) बनुज्जमूत स्थान का तरह उसी दशा में तथा

समयों पर, परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप विधुति किये गये परिषद के सदस्य या पक्षाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये सुला रहेगा और बनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण की सुकार बनायेगा।

- (ग) बनुज्ञप्तिधारी, बनुज्ञप्त स्थान में आग बुझाने के लिये आवश्य उपकरण और सामग्री रखेगा और ऐसी पूर्वाधिकारीयां अरतेगा जैसा कि परिषद द्वारा बादेशित की जाय।

टिप्पणी :- परिषद उपविधि ४ में विनिर्दिष्ट कठिनय वस्तुओं के हेतु बनुज्ञप्त स्थान में बनाये रखे जाने के लिये उपकरणों तथा साधकों के प्रकारों के विहित कर सकेगी।

- (घ) बनुज्ञप्तिधारी, बनुज्ञप्त स्थान में विधुत की व्यवस्था कल्पूट पाइप के माध्यम से बनायेगा।

- (ङ) बनुज्ञप्तिधारी, आबादी स्थान से १०० मीटर की परिधि के भीतर पेट्रोल पंपडि डीजल पंप, कूड़ बायल पंप स्थापित नहीं करेगा।

- (च) बनुज्ञप्तिधारी, उस स्थान को, जिसमें ऐसी सामग्री जैसे पेट्रोल पंप, डीजल पंप, कूड़ बायल पंप स्थापित नहीं करेगा-१ ही, बा (फैसिंग) या पक्की दीवाल द्वारा घेरेगा और वह किसी भी व्यक्ति को ३ मीटर के भीतर निवास करने की बनुज्ञा नहीं देगा:

- (छ) बनुज्ञप्तिधारी, उन बनुज्ञप्त स्थान पर, जो पेट्रोल, डीजल बधवा कूड़ बायल संग्रहित करने के प्रयोजन के लिये उपयोग न की जाता है, किसी भी व्यक्ति को खुलपान करने या उसकी आग बलाने या किसी प्रदार्थ को बलाने की बनुज्ञा नहीं देगा।

- (ज) बनुज्ञप्तिधारी, बनुज्ञप्त स्थान के सहजान्वय मार्ग पर एक ऐसा बाँड़ है जिस पर बनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा बनुज्ञप्त स्थान में संग्रहित सामग्री के व्यक्तिरूप का चिन्ह लिखा रहेगा, लगावेगा।

- १३० इन उपविधियों में से किसी का भी मंग ऐसे जुमाने से जो ५००-रुपये (पाँच सौ रुपये) तक ही सकता है, दण्डनीय ही गा, और जब मंग निरन्तर प्रकार का ही तो ऐसे जुमाने से, जो प्रथम मंग के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे मंग का निरंतर हीमारा ही, ५००-रुपये तक ही सकता है, दण्डनीय ही गा।

बनुज्ञित का रूप

(उपविधि ४ देखिये)

बनुज्ञित दिनांक

दिनांक

व्यापार प्रयोजन के लिये राजनांदगांव नगरपालिका की सीमाओं के पातर पेट्रोल। डीजल और कूड़ आयल के संग्रह के लिये स्थान के उपयोग हेतु बनुज्ञित है।

मध्यप्रदेश नगरपालिका विधिनियम, १९६२ कथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और राजनांदगांव नगरपालिका पेट्रोल पंप, डीजल पंप, कूड़ आयल पंप (स्थान बनुज्ञापन) उपविधिया, १९७६ के अधीन तथा उसके उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, एक छांग श्री - - - - - - - - - - - - - - - - - - आत्मज - - - - - - - - - -
की - - - - - - - - - रूपये की बनुज्ञित फोस का मुगलान करने पर व्यापार करने के प्रयोजन के लिये उक्त वर्णित उपविधियों की शीक्षा के अधीन रहते हुए वाढ़ नं० ----- में स्थित स्थान की पेट्रोल। डीजल कूड़ आयल के संग्रहण हेतु उपयोग में लाने के लिये उनुज्ञित किया जाता है।

यह बनुज्ञित दिनांक - - - - - से अविनाश - - -
तक (दोनों दिनों का सम्मिलित करते हुए) प्रवृत्त रहेगा।

स्थान :-

मुख्य नगरपालिका विधि
नगरपालिका परिषद
राजनांदगांव।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा जादेशानुसार,

स० म० देव, उपसचिव

- - -